न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास सत्यवीर यादव आरएएस

प्रकरण सं. 24/2016/251–ए आरटीए

राधा देवी उम्र 40 वर्ष धर्मपत्नी श्री सीताराम जाति बावरिया निवासी ढाणी सेपटा की पो. भादवासी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. मन्नी देवी पत्नी श्री धन्नाराम
2. नानकराम } पुत्रगण धन्ना
3. छीतरमल }
4. किस्तुरी देवी पुत्री धन्ना
   समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री नरेश पारीक वकील प्रार्थीया की ओर से

निर्णय दिनांक– 30.01.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की निवासिनी है तथा ग्राम सुजावास प0मं. सुजावास तहसील दांतारामगढ की तन में कृषि भूमि खसरा नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है0 अवस्थित है। प्रार्थीनी की कृषि भूमि के पूर्व में अप्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा नं. 70 वाके ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है तथा खसरा नं. 70 के पूर्व में खसरा नं. 72 ग्राम गौरियां से सुजावास सड़क मार्ग है। प्रार्थीनी के हक अधिकार व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नं. 69/1/3 में आने जाने का कोई भी रास्ता वर्तमान में प्रचलित, स्थायी या अस्थायी नहीं है इसलिए खसरा नं. 72 सड़क मार्ग से खसरा नं. 70 में से होकर खसरा नं. 69 के उतरी पूर्वी कोने तक

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

पूर्व से पश्चिम 20 फीट चौड़ा रास्ता, खसरा नं. 70 में से प्रार्थीनी की भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कटाण कर रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीनी अपनी भूमि की समुचित देखभाल व विकास नहीं कर पा रही है तथा फसल की बुवाई जुताई व लाट बाट में भी परेशानी होती है तथा कई बार आर्थिक नुकसान भी होता है चूंकि अन्य कोई भी वैकल्पिक रासता मौके पर मौजूद नहीं है तथा खसरा नं. 70 में से ही रास्ता निकटतम व सुगम है इसलिए भी रास्ता कटाण में किया जाकर मौके पर रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की कृषि भूमि खसरा नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है. में आने जाने हेतु खसरा नं. 72 ग्राम गोरियां से सुजावास जाने वाले सड़क मार्ग से पश्चिम में लगते खसरा नं. 70 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता खसरा नं0 69/1/3 के उतरी पूर्वी कोने तक राजस्व रेकार्ड में अंकित कर नक्शा ट्रेश में कटाण किया जाकर रास्ता कायम किये जाने की कृपा करें। आवेदन के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश ग्राम ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिंला सीकर की पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, पलसाना से डीएलसी दर चाही गईं। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उप तहसीलदार, पलसाना ने पत्रांक भूअ/65/75 दिनांक 04.07.2016 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है0 की खातेदारी श्रीमती राधादेवी पत्नी सीताराम बावरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खेत में जाने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नजदीकी रास्ता नहीं है, वांछित रास्ता भूमि खसरा नं. 70 की खातेदारी मन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम, नानकराम, छीतरमल पुत्रगण धन्नाराम किस्तुरी पुत्री धन्नाराम बलाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने व भूमि का उपयोग उपभोग प्रस्तावित रास्ते के अभाव में करने से वंचित है। ग्राम सुजावास की प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 25,25,610 रू. प्रति है. है। प्रस्तावित रास्ता 120 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा 120**X**4 **=** 480 व0मी0 बनता है जिससे भूमि कीमत 1,21,230 रू. होती है दुगुना करने पर 2,42,460 रू. देय होती है।

3. बहस प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गईं बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त रास्ता दिये जाने में नियमानुसार राशि का भुगतान पक्षकारान को किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

4. हमने प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार पलसाना के पत्रांक भूअ/16/75 दिनांक 04.07.2016 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व डीएलसी दर का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार, पलसाना ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है0 की खातेदारी श्रीमती राधादेवी पत्नी सीताराम बावरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खेत में जाने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नजदीकी रास्ता नहीं है, वांछित रास्ता भूमि खसरा नं. 70 की खातेदारी मन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम, नानकराम, छीतरमल पुत्रगण धन्नाराम किस्तुरी पुत्री धन्नाराम बलाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने व भूमि का उपयोग उपभोग प्रस्तावित रास्ते के अभाव में करने से वंचित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीया के खेत ख.नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के रकबे के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राशि खातेदारों के हिस्से अनुसार देय है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया को अपने खेत ख.नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है. वाके ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने हेतु आवेदित रास्ता दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख.नं. 69/1/3 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम सुजावास पं.म. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित आवेदित भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070-73 के अनुसार ख.नं. 70 की खातेदारी मन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम, नानकराम, छीतरमल पि. धन्ना किस्तुरीदेवी पुत्री धन्ना हि.ब. जाति बलाई सा.देह के नाम से है। उप पंजीयक, पलसाना द्वारा ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 25,25,610 रू. प्रति है. है। प्रस्तावित रास्ता 120 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा 120**X**4 = 480 व0मी0 बनता है जिससे भूमि कीमत 1,21,230 रू. होती है दुगुना करने पर 2,42,460 रू. देय होती है। प्रार्थीया द्वारा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में उक्त राशि 2,42,460 रूपये जमा करवाने पर सम्बन्धित खातेदारान के नाम हिस्से अनुसार राशि की गणना कर डीडी बनवाकर सम्बन्धित खातेदार को भुगतान हेतु भू अ निरीक्षक, रैवासा तहसील दातारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। ग्राम सुजावास प.मं. श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित खसरा नं. 70 में से 120 मीटर लम्बाई **X** 4 मीटर चौड़ाई = 480 वर्गमीटर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया द्वारा वांछित राशि राजकोष में जमा होने पर उक्त भूमि को सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तद्नुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner